न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-678/2026
Belari P.S. Case No.-32/2026

1. **छोटु कुमार उर्फ राकेश कुमार**, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता– सुरेन्द्र यादव
(साकिन –जमुआहा, वार्ड संख्या–08, थाना–बेलारी, जिला– मधेपुरा।)

.....अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

22-07-2026 जमानत आवेदन अभियुक्त **छोटु कुमार उर्फ राकेश कुमार** के द्वारा बेलारी थाना कांड संख्या–32/2026 अन्तर्गत धारा 292 बी.एन.एस एवं 25(9) आर्म्स एक्ट में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रकिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक थानाध्यक्ष बेलारी पु0अ0नि0 बरूण कुमार के टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक–10.05.2026 को सरकारी मोबाइल पर एक फोटो में दो लड़का का अवैध हथियार के साथ हथियार प्रदर्शन करते हुए इंस्टाग्राम आईडी–छोटूकुमार707073 से वायरल स्टोरी का स्क्रीनशोर्ट फोटो प्राप्त हुआ। स्थानीय स्रोत एवं थाना के चौकीदारों से पता करने पर चौकीदार 7/4 प्रतीक कुमार प्रभाकर के द्वारा बताया गया कि वायरल स्क्रीनशॉर्ट फोटो में हथियार के साथ प्रदर्शन करने वाले लड़कों का नाम छोटू कुमार एवं नीतू कुमार हैं। उक्त चौकीदार के निशानदेही पर साथ पीटीसी गुड्डू गिरी एवं थाना रिजर्व गार्ड के गृ0र0/351086 संतोष कुमार, गृ0र0/351312 मनोज कुमार सिंह एवं म०सि०–495 स्नेहलता कुमारी के साथ दिनांक–11.05.2026 को समय 00.10 बजे पुलिस वाहन से थाना से प्रस्थान किया। सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही के साथ ग्राम जमुआहा पहुंचा तथा घेराबंदी करते हुए बारी–बारी से विधिवत छोटू कुमार एवं नीतू कुमार के घर पर छापामारी किया, तो दोनों को फिरार पाया। दोनों के घर का बारी–बारी विधिवत तलाशी लिया गया, परन्तु कोई आपतिजनक सामान बरामद नहीं हुआ । वायरल स्क्रीनशोर्ट फोटो के संबंध में उनके परिजनों से पूछने पर कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिए। तदोपरांत ग्राम जमुआहा से प्रस्थान किया और थाना वापस आया। सूचक के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरूद्व बेलारी थाना कांड संख्या–32/2026 अन्तर्गत धारा 292 बी.एन.एस एवं 25(9) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार सिंह, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि आवेदक की ओर से अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है न खारिज हुआ है न कहीं लंबित ही है। आवेदक पुर्णत : निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है। आवेदक को स्थानीय गंदी राजनिति के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। धारा 25(9) आर्म्स एक्ट के तहत कोई मामला नही बनता है और धारा 292 बी.एन.एस

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

22-07-2026
लगातार.....

जमानतीय प्रकृति का है। आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही है। आवेदक अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अवैध हथियार रखने तथा सोशल मिडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने एवं आम जनो में भय एवं डर का माहौल उत्पन्न करने का आरोप है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त छोटू कुमार के उपर आरोप है कि वह सोशल मिडिया पलेटफार्म पर पिस्तौल लिए हुए एक विडियो वायरल किया जिससे समाज में उनके प्रति आंतक हो। परंतु छापामारी के कम में पुलिस के द्वारा कुछ भी जप्त नहीं किया गया। अभिलेख पर केवल एक फोटोग्राफ है जिसके एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहा है। अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार का कोई हथियार प्राप्त नहीं हुआ है। कांड दैनिकी के पारा–37 से स्पष्ट है कि अभियुक्त को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः वाद के उक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप आवेदक अभियुक्त **छोटु कुमार** उर्फ **राकेश कुमार** को गिरफ्तार अथवा आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आत्म–समर्पण करने पर मो0 20,000/–रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर धारा 438(2) दंड प्रकिया संहिता के शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura